उत्तर प्रदेश शासन
नियोजन अनुभाग-1
संख्या- 21/2018/506/35-1-2018-2/1(86)/2014
लखनऊः दिनांकः 27 जून, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड का खाता सं0-595702010006410 राष्ट्रीयकृत बैंक यूनियन बैंक आफ इण्डिया, आशियाना शाखा, लखनऊ में खोला गया है। इस खाते में उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड की परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्राप्त धनराशि को कोषागार से आहरित कर जमा कर दिया जाता है तथा बोर्ड के कार्यकारी समिति में लिये गये निर्णयों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु समय-समय पर चेक/आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से आहरित/भुगतान किया जाता है। वर्तमान में खाते का संचालन बोर्ड के सदस्य संयोजक श्री पी0एस0 ओझा तथा नियोजन विभाग के संयुक्त सचिव, श्री ऋषिकेश दूबे के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जा रहा है। श्री ऋषिकेश दूबे, संयुक्त सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के स्थान पर अब उक्त खाते के संचालन हेतु डा0 गोमती द्विवेदी, वित्त नियंत्रक, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नामित किया जाता है।

2. उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंक यूनियन बैंक आफ इण्डिया, आशियाना शाखा, लखनऊ में खोले गये खाते का संचालन बोर्ड के सदस्य संयोजक श्री पी0एस0 ओझा तथा नियोजन विभाग के वित्त नियंत्रक, डा0 गोमती द्विवेदी के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।

3. उपर्युक्त के संबंध में पूर्व निर्गत कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2018/189/35-1-2018-2/1(86)/2014, दिनांक 29 मार्च, 2018 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

आर0एन0एस0 यादव
विशेष सचिव।

संख्या- 21/2018/506(1)/35-1-2018-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड/मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन।
4. उपाध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड/कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
5. डा0 गोमती द्विवेदी, वित्त नियंत्रक, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. श्री ऋषिकेश दूबे, संयुक्त सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. राज्य समन्वयक/सदस्य संयोजक, उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड, लखनऊ।
8. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. केन्द्रीय सहायता (वित्त) अनुभाग।
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
11. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
12. वित्त (लेखा) अनुभाग-1
13. गार्ड फाईल

आज्ञा से,

आर0एन0एस0 यादव
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।